

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :-

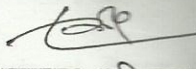
अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

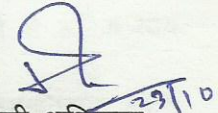
जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में शासनादेश संख्या 337/111(2)/09-43(प्रा0आ0)/2009 दि0 12.03.2010 द्वारा अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग तक 7.00 किमी0 लम्बाई एवं किमी0 1.00 में 24 मी0 स्पान मोटर लोड सेतु निर्माण हेतु ₹ 330.74 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। उक्त स्वीकृति के तहत मात्र 6.00 किमी0 लम्बाई में ही न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा।

उक्त मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, किन्तु संरेखण नं0 1 इस प्रकार तय किया गया कि इसमें न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें साथ ही इस संरेखण के मध्य कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, धार्मिक स्थल आदि नहीं पड़ते हैं, संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, भूगर्भय दृष्टि से यह उचित पाया गया है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नहीं कर सकता है। अतः प्रस्तावित संरेखण उपयुक्त है, इस संरेखण में 7.00 मी0 चौड़ाई में ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है तथा मार्ग निर्माण एवं वृक्षों का पातन 6.00 मी0 चौड़ाई में किया जायेगा, जो मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम है।

अतः मार्ग निर्माण हेतु 6.00 किमी0 लम्बाई में 2.10 हे0 सिविल वनभूमि की आवश्यकता है, जो न्यूनतम है। उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर